स्मरण पत्र

मध्य प्रदेश शासन
प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति
सचिवालय

कार्यालयः टैगोर छात्रावास क्रमांक टी–2, श्यामला हिल, भोपाल–462002
दूरभाष एवं फैक्स : 0755–2660461, email:afrcmp@gmail.com, web site: www.afrcmp.org

क्रमांक/सचि./ओएसडी/2019/3052 दिनांक– 8/8/2019

प्रति,

कुलसचिव,
समस्त निजी विश्वविद्यालय,
मध्यप्रदेश।

विषय– प्रदेश के निजी विश्वविद्यालय एवं निजी विश्वविद्यालय के अंतर्गत निजी क्षेत्र की गैर अनुदान प्राप्त व्यावसायिक शिक्षण संस्थाओं के आगामी ब्लॉक के अर्थात् सत्र 2019–20, 2020–21 एवं 2021–22 के शुल्क विनियमन के संबंध में।

संदर्भ– 1. इस सचिवालय का सूचना पत्र क्रमांक/सचि./ओएसडी/2019/67 दिनांक 25.01.2019.
2. इस सचिवालय का पत्र क्रमांक/सचि./ओएसडी/2019/185 से 216 दिनांक 15.02.2019.

***

मध्यप्रदेश निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्था (प्रवेश का विनियमन एवं शुल्क का निर्धारण) अधिनियम–2007 के तहत गठित प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति, मध्यप्रदेश शासन तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग, मंत्रालय, भोपाल द्वारा प्रकाशित राजपत्र दिनांक 15 अप्रैल, 2008 के विनियम की कंडिका 5 (1) में दिये गये प्रावधानों के अनुरूप प्रदेश में स्थित निजी विश्वविद्यालय एवं निजी विश्वविद्यालय के अंतर्गत निजी क्षेत्र की गैर अनुदान प्राप्त संस्थाओं के द्वारा संचालित एवं किसी नियामक/निकाय यथा एम.सी.आई., डी.सी.आई., एन.सी.आई., सी.सी.आई.एम. पी.सी.आई. ए.आई.सी.टी.ई., एन.सी.टी.ई. एवं बार काउंसिल ऑफ इंडिया इत्यादि द्वारा अनुमोदित व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के आगामी तीन साल के ब्लॉक अर्थात् सत्र **2019–20, 2020–21 एवं 2021–22** के शुल्क विनियमन के संबंध मे ऑनलाईन प्रक्रिया के माध्यम से 20.02.2019 से आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये थे।

माननीय अपीलीय प्राधिकारी न्यायमूर्ति श्री आलोक वर्मा जी जो मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग तथा प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति, भोपाल जो दोनों के अपीलीय प्राधिकारी है के द्वारा जारी आदेश दिनांक 03.04.2019 मे भी प्रदेश के निजी विश्वविद्यालयों द्वारा संचालित व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के शुल्क का विनियमन करने हेतु प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति को ही प्राधिकृत माना गया है।

उपरोक्त जारी माननीय अपीलीय प्राधिकारी के आदेश एवं प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति की अधिसूचना दिनांक 25.01.2019 के उपरांत भी यदि आपके द्वारा विश्वविद्यालय में संचालित व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के सत्र **2019–20, 2020–21 एवं 2021–22** के शुल्क विनियमन हेतु आवेदन प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति को प्रस्तुत नही किया गया है, तो आपको निर्देशित किया जाता है कि आपके विश्वविद्यालय में संचालित व्यावसायिक पाठ्यक्रमो के सत्र **2019–20, 2020–21 एवं 2021–22** के शुल्क विनियमन के प्रस्ताव तत्काल समिति, सचिवालय को प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके द्वारा लिये जा रहे शुल्क को एक्ट में प्रदत्त अध्यारोही प्रभाव का उपयोग कर अविनियमित शुल्क वसूली मानते हुये प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जावेगी।

(डॉ. आलोक चौबे)
सचिव/विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी

पृ.क्रमांक/सचि./ओएसडी/2019/ दिनांक –

प्रतिलिपि–1. अध्यक्ष महोदय, प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति, भोपाल को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. अध्यक्ष, मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, भोपाल की ओर माननीय अपीलीय प्राधिकारी के आदेश दिनांक 03.04.2019 के परिपालन में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(डॉ. आलोक चौबे)
सचिव/विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी